न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu.223RTA062

रुकडी पुत्री गिरधारीराम पत्नी मांगीलाल जाट
निवासी भोपालगढ, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. गोमदराम पुत्र उदाराम के कायममुकामान--
   a. सीताराम पुत्र गोमदराम जाट निवासी ग्राम उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
   b. रामचन्द्र पुत्र गोमदराम जाट निवासी ग्राम उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
   c. प्रकाश पुत्र गोमदराम जाट निवासी ग्राम उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
   d. सोनी पत्नी गोमदराम जाट निवासी ग्राम उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर निवासी ग्राम उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
   e. श्रीमती इन्द्रा पुत्री गोमदराम पत्नी भलाराम जाट निवासी भनगो की ढाणी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
   f. श्रीमती सुआ पुत्री गोमदराम पत्नी हडमान जाट साउ, निवासी साउओं की ढाणी, हीरादेशर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर भोपालगढ दिनांक 01 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 01/2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री बी.एल.विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 31 अक्तूबर 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर, भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2013 रुकडी बनाम गोमदराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 जून 2018 को पेश की है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम उस्तरा तहसील भोपालगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 344 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 345 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 355 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 357 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 393 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 399 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 423 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 429 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 430 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 436 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1355/419 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 100 बीघा 01 बिस्वा के संबंध में पेश कर जाहिर किया कि उक्त आराजियात वादिनी के पिता गिरधारीराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी तथा सहखातेदारी की है, सन् 1989 में गिरधारीराम का देहान्त निर्वसीयती हो गया, उनके प्रथम श्रेणी के

दो वारिसान उनकी पत्नी तीजी एवं पुत्री रुकडी (वादिनी-अपीलाण्ट) थे मगर तीजी ने राजस्व कर्मचारियों से दुरभिसन्धि कर उक्त सम्पूर्ण पैतृक भूमि गलत तरीके से अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली और राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 27 दिसम्बर 2012 को उप-पंजीयक कार्यालय भोपालगढ में उक्त आराजियात बाबत गोमदराम पुत्र उदाराम के पक्ष में एक हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया, जो वादिनी-अपीलाण्ट के हिस्से की सीमा तक शून्यप्रभावी है। इस प्रकार वादिनी-अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात में अपना ½ हक-हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने, बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग करवा कर तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश होने पर तनकियात कायम की गयी तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु विचाराधीन चलने के दौरान दिनांक 01 जून 2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प उस्तरा में रखी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादिनी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ वादिनी-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल दावा साक्ष्य हेतु विचाराधीन चल रहा था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से बिना कोई समुचित सूचना दिये पत्रावली राजस्व शिविर में सुनवाई हेतु रखी जाकर वादिनी-अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। इतना ही नहीं, अपीलाधीन निर्णय हकतर्क संबंधित कानूनी व्यवस्था का भलीभांति अर्थ जाने बिना ही एक ऐसे दस्तावेज के आधार

पर पारित किया गया है, जो तिजि (प्रतिवादिनी संख्या एक) द्वारा कानूनन निष्पादित ही नहीं किया जा सकता था। अपीलाण्ट गिरधारीराम की पुत्री है और गिरधारीराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट एवं उसकी माता तिजि को समान अधिकार अर्जित हुए है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की माता द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात बाबत अपीलाण्ट के हक-हकूक को अनदेखा करते हुए निष्पादित दस्तावेज अपीलाण्ट के अधिकारों की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि रेस्पो. गोमदराम अपीलाण्ट का चाचा है, वादग्रस्त आराजियात गिरधारी एवं गोमद की संयुक्त खातेदारी की रही हैं। गिरधारी के देहान्त के बाद यह भूमि मु. तिजि के नाम दर्ज हुई जिसने पंजीबद्ध हकतर्कनामा से यह भूमि रेस्पो. गोमद के नाम कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में दावा खारिज होने के बाद हकतर्कनामा को खारिज कराने के लिए सिविल न्यायालय में दावा कर दिया और ½ हिस्से बाबत खातेदारी की मांग की। इस कारण अब सिविल और राजस्व, दोनों वाद एक साथ नहीं चल सकते। अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि दावा खारिज किये जाने के आधार अपीलाधीन निर्णय में समुचित रूप से वर्णित किये गये है। वादिनी-अपीलाण्ट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा -काश्त होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजस्व लोक अदालत में पारित किये गये है, अतः ऐसे निर्णय के खिलाफ अपील चलने योग्य नहीं है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवंक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 10 अगस्त 2015 को मामले में तनकियात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया, इसके बाद दिनांक 04 अप्रेल 2016 को वादी-पक्ष की ओर से दो अलग-अलग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किये गये जिनमें से एक में प्रतिवादिनी संख्या एक मु. तिजि का देहान्त हो जाने, उसकी एकमात्र वारिस वादिनी ही होने से मु. तिजि का नाम तर्क किये जाने का निवेदन किया। दूसरे प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी संख्या दो गोमदराम का देहान्त हो जाने से उसके विधिक वारिसान को बतौर कायममुकामान पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। 26 सितम्बर 2016 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिये गये और प्रकरण पुनः साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया। दिनांक 03 मार्च 2017 की आदेशिका अनुसार "तिजि व गोमदराम के विधिक वारिसान के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते उक्त के जबाब हेतु आइन्दा 31.3.2017 को पेश हो।" (उल्लेखनीय है कि मु. तिजि की एकमात्र वारिस वादिनी स्वयं पहले से ही मामले में बतौर वादिनी पक्षकार मौजूद होने से कोई सम्मन जारी होने का प्रश्न ही उत्पन नहीं होता है)। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामले में दिनांक 06 अप्रेल 2018 को प्रतिवादी-पक्ष के जबाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली में पेशी वास्ते साक्ष्य आयन्दा 04 मई 2018 मुकर्रर की गयी। इसके बाद बिना तारीख की एक आदेशिका रबर-स्टाम्प से "प्रार्थी उसके वकील उपस्थित/विपक्षी

उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है। पक्षकार दिनांक 1/6/18 को उस्तरा लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। इस आदेशिका के हाशिए पर किसी पक्षकार या उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं है, अतः ***निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि लोक अदालत में प्रकरण रैफर किये जाने संबंधित इस आदेशिका की सूचना संबंधित पक्षकार या उसके अधिवक्ता को हो चुकी थी।*** दिनांक 01 जून 2018 को सीधे ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मामले में अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित किये जाने के पूर्व वादिनी-अपीलाण्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में कायम की गयी तनकियात बाबत कोई तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया गया है। निर्णय केवल वादिनी का कब्जा काश्त बाबत साक्ष्य नहीं होते तथा वैध बख्शीशनामा के कारण खारिज किया है जो बिना साक्ष्य का अवसर दिये एवं पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार निहित होने के तथ्यों को नजरअंदाज कर किया गया है। यह निर्णय कानूनसम्मतः नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध ***हकतर्कनामा की प्रति में प्रतिवादिनी संख्या एक ने वादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पत्ति होना जाहिर किया है और उसके मूल खातेदार उदाराम होना बताया है।*** उक्त हकतर्कनामा में उदाराम का वंशवृक्ष भी अंकित किया गया है जिसके अनुसार उदाराम के दो पुत्र गिरधारीराम व गोमदराम दर्शाये गये है तथा प्रतिवादिनी तीजी को गिरधारीराम की पत्नी बताया गया है। वादिनी को इसमें नहीं दर्शाया जाना भी तथ्य का छिपाया जाना है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब में प्रतिवादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी किस प्रकार मु. तीजी की खातेदारी में आई। जबाबदावे में तो वादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पत्ति होने से भी इंकार किया है और वादिनी जो कि गिरधारीराम की पुत्री है (इस तथ्य से प्रतिवादीगण ने भी कहीं पर भी इंकार नहीं किया है) के हक-हकूक को मात्र इस आधार पर नकारा है कि उसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और सन 2005 से पूर्व पुत्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं थे। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी-अपीलाण्ट को अपने पक्ष में साक्ष्य सुनवाई का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा है। यदि ऐसा किया जाता तो सम्भवतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह कतई नहीं लिखा जाता कि ".... वादिनी का राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अथवा सहखातेदारी दर्ज नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है..."। जब वादिनी के वाद का मूल आधार ही अपने पिता की खातेदारी भूमि में पिता के देहान्त के बाद विरासत में प्राप्त होने वाले खातेदारी अधिकारों की घोषणा का हो, तथा प्रतिवादीगण की ओर से उसका खण्डन करने का एक आधार यह भी हो कि सन 2005 के पूर्व पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं थे, तो ऐसे मामलें में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिये था और यह भी ध्यान में रखना चाहिये था कि सन 2005 के पूर्व से भी अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ही पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त थे। 2005 में किये

गये संशोधन के बाद उन्हें जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये। ***आलौच्य मामले में वादिनी अपने पिता के देहान्त के बाद पिता की सम्पत्ति में अपने उत्तराधिकार की मांग कर रही है,*** अतः सन 2005 के पूर्व या बाद का कोई फर्क उसकी मांग पर नहीं पडता है।

यदि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि होना, उसमें वादिनी का पुश्तैनी आधार पर विरासतन हक-हिस्सा जन्म से ही विहित होना सिद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में प्रतिवादिनी संख्या एक द्वारा वादिनी के हिस्से की सीमा तक निष्पादित किया गया हकतर्कनामा प्रारम्भ से ही प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी (*abinitio void*) हो जाता है और वादिनी के हितों के खिलाफ उसे निरस्त कराने के लिए किसी सक्षम न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

इसके अलावा सिविल न्यायायल में मामला पेश किये जाने अथवा विचाराधीन होने बाबत रेस्पो. की ओर से कोई दस्तावेज या अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र मौखिक कथन के आधार पर न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित एवं व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे में वादग्रस्त भूमि कुल खसरा 11 की कुल रकबा 100.01 बीघा में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जबकि बख्शीशनामे में वर्णन कुल खसरा 10 कुल रकबा 88 बीघा का ही किया गया है। खसरा संख्या 436 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा (जिसका बख्शीशनामा में उल्लेख नहीं है) के संबंध में भी दावा खारिज कर दिया, जो निश्चित रूप से बिना विवेक का उपयोग किये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दावा के प्रति बरती गयी उपेक्षा का घोतक है।

अस्तु, मामले में वादिनी को साक्ष्य-सबूत और सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय

एवं डिकी अदालत हाजा की राय में स्वेच्छाचारी एवं विधिसम्मतः नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तनकीवार बाद विश्लेषण नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/x/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर